अनुदान संख्या 11 – उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
GRANT No. 11 - DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	5136,55,00		6785,67,00	6761,77,96	-23,89,04
पूरक	Supplementary	1649,12,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					15,37,49
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			1469,00,00	797,34,69	-671,65,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					671,60,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	11423.00	9132.29	9039.73	-92.56
पु.	R.	-2290.71			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	7767.00	6123.94	5699.75	-424.19
पु.	R.	-1643.06			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	75635.00			
पू.	S.	20000.00	..	..	..
पु.	R.	-95635.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	96958.00			
पू.	S.	1.00	45129.33	44843.73	-285.60
पु.	R.	-51829.67			
मुख्य शीर्ष "2885"	Major Head "2885"				
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	294944.00			
पू.	S.	144911.00	596096.00	596095.99	-0.01
पु.	R.	156241.00			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	26928.00	20547.95	20498.76	-49.19
पु.	R.	-6380.05			

(I) ₹95676.00 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹20000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹95585.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "तकनीकी शिक्षा – अन्य व्यय – स्वायत्त निकायों को परियोजना आधारित सहायता" – ₹1428.00 लाख;

(खा) "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी" –

(क) "पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास" – "56997.00 लाख; और

(ख) "जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित यूनिटों के लिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता" – ₹37160.00 लाख (₹20000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग" के अंतर्गत – ₹2159.60 लाख की बचत (₹10466.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2070" – "विस्फोटक – पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)" – ₹2067.25 लाख की बचत (₹7767.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, जीईएम(जेम) के

(I) Provision of ₹95676.00 lakhs (including supplementary grant of ₹20000.00 lakhs obtained in February, 2021) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹95585.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - under the following heads :-

(A) "Technical Education - Other Expenditure - Project Based Support to Autonomous Bodies" - ₹1428.00 lakhs;

(B) "Development of Backward Area - Subsidies" -

(a) "Industrial Development of Backward and Remote Area" - ₹56997.00 lakhs; and

(b) "Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim" - ₹37160.00 lakhs (including supplementary grant of ₹20000.00 lakhs).

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department for Promotion of Industry and Internal Trade" - saving of ₹2159.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10466.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and freezing of dearness allowance owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under Major Head "2070" - "Explosives - Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO)" - saving of ₹2067.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7767.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance owing to COVID-19

जरिए मदों की अधिप्राप्ति न होने, सरकारी भवनों में आवास के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान न किए जाने और नवीकरण कार्य को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

pandemic, less tours undertaken, non-procurement of items through GeM, non-payment of License fee for accommodation of Government buildings and non-finalisation of renovation work.

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(IV) Under Major Head "2852" - savings occurred under the following heads:-

(का) "उपभोक्ता उद्योग – चमड़ा – भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" – ₹21690.01 लाख की बचत (₹37000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय फुटवियर लेदर एवं एक्सेसरीज विकास की एचआरडी उप–योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित न किए जाने तथा कोविड–19 महामारी फैलने के कारण निर्माण की गति धीमी होने के कारण हुई।

(A) "Consumer Industries - Leather -Indian Leather Development Programme" - saving of ₹21690.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37000.00 lakhs) was due to non conducting of training under HRD sub scheme of Indian Footwear Leather and Accessories Development and slow pace of construction owing to COVID-19 pandemic.

(खा) "सामान्य" –

(B) "General" -

(क) "औद्योगिक उत्पादकता – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹616.55 लाख की बचत (₹2650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत न करने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(a) "Industrial Productivity - Assistance to Autonomous Bodies" - saving of ₹616.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2650.00 lakhs) was due to non-submission of proposals on time owing to COVID-19 pandemic and non-filling up of vacant posts.

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन" – ₹569.13 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंशदान के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने और विनिमय दर परिवर्तन के कारण हुई।

(b) "International Co-operation - United Nations Industrial Development Organizations" - saving of ₹569.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for contribution and exchange rate variation.

(ग) "अन्य व्यय" –

(c) "Other Expenditure" -

(i) "स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता" – ₹16408.63 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹23573.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रतिबंध होने की वजह से शैक्षणिक संस्थाओं के बंद होने

(i) "Project Based Support to Autonomous Institutions" - saving of ₹16408.63 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹23573.00 lakhs including token supplementary of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) was due to closure of

तथा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा कार्य/परियोजनाएं न लिए जाने के कारण हुई।

educational institutions and non-taking up of works/projects by National Institute of Design owing to COVID-19 restrictions.

(ii) "मेक इन इंडिया" – ₹11852.94 लाख की बचत (₹22700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण निवेश संवर्धन कार्यकलापों तथा निवेशक अंकन एवं सुविधा सेवा कार्यकलापों के स्थगित होने, कम परामर्शदाता लिए जाने और कम मीडिया प्रचार/विज्ञापन किए जाने की वजह से हुई।

(ii) "Make in India" - saving of ₹11852.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22700.00 lakhs) was due to suspension of investment promotion activities and investor targeting and facilitation activities, hiring of less consultants and less media campaigns/advertisements owing to COVID -19 pandemic.

(V) मुख्य शीर्ष "3475" – "पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेड मार्कों का विनियमन – बौद्धिक सम्पदा" – ₹6266.66 लाख की बचत (₹25658.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस पर आदेशों को रद्द किए जाने, विभिन्न माध्यस्थम मामलों की सुनवाई न होने और कम व्यावसायिक लिए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3475" - "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks - Intellectual Property" - saving of ₹6266.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25658.00 lakhs) was due to cancellation of orders on Government e-Marketplace, non-hearing of various arbitration cases owing to COVID-19 pandemic and hiring of less professionals.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹478.19 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of ₹478.19 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹156242.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष "2885" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1649.11 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹ 156242.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1649.11 lakhs in February, 2021 under Major Head "2885" - under the following heads:-

(का) "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी" –

(A) "Development of Backward Areas - Subsidies" -

(क) "पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास" – ₹43993.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹43992.99 लाख था।

(a) "Industrial Development of Backward and Remote Area" - ₹43993.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹43992.99 lakhs.

(ख) "जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित यूनिटों को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता" – ₹37160.00 लाख।

(b) "Budgetary Support under Goods and Service Tax regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim" - ₹37160.00 lakhs.

(खा) "औद्योगिक कॉरीडोर – दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर – राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास" – ₹75089.00 लाख।

(B) "Industrial Corridors - Delhi Mumbai Industrial Corridor - National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT)" - ₹ 75089.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	6662.00	2000.00	1994.69	-5.31
पु.	R.	-4662.00			
मुख्य शीर्ष "4875" अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4875" Capital Outlay on Other Industries				
मू.	O.	140238.00	77740.00	77740.00	..
पु.	R.	-62498.00			

(I) ₹739.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – अवसंरचना विकास बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईडीआईपीएबी)" के अंतर्गत एक मामले में – परियोजना बंद होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹739.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Infrastructure Development Intellectual Property Appellate Board (IDIPAB)" - due to discontinuation of project.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – महानियंत्रक पेटेंट और ट्रेडमार्क में अवसंरचना का विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम)" – ₹3928.31 लाख की बचत (₹5923.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Infrastructure Development in Controller General of Patents and Trade Marks (IDCGPDTM)" - saving of ₹3928.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5923.00 lakhs) was due to slow pace of construction owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "4875" – "अन्य उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – निधियों की निधि" – ₹62498.00 लाख की बचत (₹105497.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण किफायती उपाय किए जाने की वजह से हुई।

(III) Under Major Head "4875" - "Other Industries - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Fund of Funds" - saving of ₹62498.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹105497.00 lakhs) was due to austerity measures adopted owing to COVID-19 pandemic.